

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फ़ैक्स नं.-0141-2222403)

dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक:-प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/18/16912

दिनांक:-26/9/18

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र. स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1.	श्री हरीश बगडिया	वरिष्ठ लिपिक	खाटूश्यामजी (स्थानान्तरणधीन)	चुरु
2.	श्री हरीश मीणा	कनिष्ठ लिपिक	विजयनगर	खाटूश्यामजी

उक्त कर्मचारीयो को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिए कार्यमुक्त कर शिघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट:-

- 01.स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- 02.स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
- 03.यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कायमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- 04.यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

दिनांक:-26/9/18

क्रमांक:-प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/18/16913-984

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिकाारी/नगर परिषद/पालिका /चुरु/
खाटूश्यामजी/विजयनगर।
04. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर/जयपुर/अजमेर।
05. संबंधित कर्मचारी.....।
06. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)